भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 374**
04 फरवरी, 2020 को उत्तर देने के लिए

## खाद्य पार्क योजना

**374. श्री रवि किशन:**
**डॉ.निशिकांत दुबे:**
**श्री जी.एम. सिद्देश्वर:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

**(क)** क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण हेतु आधुनिक अवसंरचना के निर्माण हेतु देश में खाद्य पार्क योजनाओं का कार्यान्वयन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
**(ख)** गत दो वर्षों के दौरान चिह्नित/स्थापित/स्वीकृत पार्कों का ब्यौरा क्या है और ऐसे पार्कों को कितनी वित्तीय सहायता या निधियां प्रदान की गई हैं; और
**(ग)** क्या खाद्य पार्कों की स्थापना हेतु किसी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है और यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री**
**(श्री रामेश्वर तेली)**

**(क):** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वर्ष 2008 से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए आधुनिक अवसंरचना का सृजन करने हेतु मेगा फूड पार्क स्कीम (एमएफपीज) कार्यान्वित कर रहा है । अब यह स्कीम केंद्रीय क्षेत्र की नई अम्ब्रेला स्कीम-प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) का एक घटक है । मेगा फूड पार्क स्कीम का लक्ष्य खेत से लेकर बाजार तक मूल्य श्रृंखला के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराना है । स्कीम की मुख्य विशेषताएं **संलग्नक-I** में विस्तार में दी गई हैं ।

**(ख):** सरकार ने कुल 42 मेगा फूड पार्कों (एमएफपीज) की परिकल्पना की थी । आज की तारीख में मंत्रालय ने 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 39 मेगा फूड पार्कों को अनुमोदन दिया है जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है । इनमें से 18 मेगा फूड पार्क प्रचालनरत हैं । पिछले दो वित्त वर्षों और चालू वित्त वर्ष में कार्यशील बनाए गए मेगा फूड पार्कों को अनुमोदित की गई और जारी की गई अनुदान राशि सहित उनका ब्यौरा **संलग्नक-II** में दिया गया है। पिछले दो वित्त वर्षों और चालू वित्त वर्ष में मंत्रालय द्वारा अंतिम अनुमोदन दिए गए मेगा फूड पार्कों का अनुमोदित और जारी की गई अनुदान सहायता सहित ब्यौरा **संलग्नक-III** में दिया गया है ।

**(ग):** राज्य सरकार के संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित की जा रही 9 मेगा फूड पार्क परियोजनाओं को मंत्रालय ने अंतिम अनुमोदन दिया है । इन परियोजनाओं का ब्यौरा **संलग्नक-IV** में दिया गया है । वर्तमान में इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार की संस्था का कोई भी प्रस्ताव मंत्रालय के विचारार्थ लंबित नहीं है ।

*****

**संलग्नक-I**

**खाद्य पार्क योजना के बारे में दिनांक 04 फरवरी, 2020 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 374 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।**

**<u>मेगा फूड पार्क स्कीम के दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं</u>**

**स्कीम का उद्देश्य**

मेगा फूड पार्क योजना का प्राथमिक उद्देश्य खेत से लेकर बाजार तक मूल्य श्रृंखला के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराना है । इसमें खेत के निकट प्रसंस्करण अवसंरचना का सृजन, परिवहन, लॉजिस्टिक्स और केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र शामिल होंगे ।

स्कीम मेगा फूड पार्कों की स्थापना करके हब एवं स्पॉक मॉडल पर आधारित क्लस्टर दृष्टिकोण के साथ कार्य करती है । इसमें प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों (पीपीसीज) और एकत्रण केंद्रों (सीसीज) तथा सामान्य सुविधाओं के रूप में खेत के निकट प्राथमिक प्रसंस्करण और भंडारण के लिए अवसंरचना तथा केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) में समर्थ्यकारी अवसंरचना जैसे सड़कों, बिजली, जल, बहिर्स्राव संयंत्र (ईटीपी) सुविधाओं इत्यादि का सृजन करना शामिल है । ये पीपीसीज और सीसीज केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र में स्थित प्रसंस्करण यूनिटों को कच्ची सामग्री उपलब्ध कराने के लिए एकीकरण तथा भंडारण केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं । यह स्कीम मांग प्रेरित होगी तथा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के लिए पर्यावरणीय एवं संरक्षा मानकों को पूरा करना सुगम बनाएगी ।

**सहायता का पैटर्न**

स्कीम में प्रति परियोजना लागत (भूमि की लागत छोड़कर) की सामान्य क्षेत्रों में 50% की दर से और दुर्गम तथा पहाड़ी क्षेत्रों अर्थात सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राज्यों के आईटीडीपी अधिसूचित क्षेत्रों सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में 75% की दर से परंतु अधिकतम 50 करोड़ रुपए की पूंजी अनुदान का उपबंध किया गया है ।

**भूमि**

सीपीसी की स्थापना करने के लिए भूमि की आवश्यकता मेगा फूड पार्क के केंद्रीय प्रसंस्करण के लिए खरीद द्वारा अथवा कम से कम 75 वर्षों की पट्टा अवधि पर न्यूनतम 50 एकड़ है ।

**परियोजना के मुख्य घटक**

- **सामर्थ्यकारी बुनियादी अवसंरचना-** आंतरिक सड़कें, जल निकासी, जल आपूर्ति, कैप्टिव विद्युत संयंत्र, ईटीपी और एसटीपी, धर्मकांटे इत्यादि सहित बिजली आपूर्ति ।
- **कोर प्रसंस्करण-** छंटाई एवं ग्रेडिंग, पैकेजिंग, मालगोदाम एवं विशिष्टिकृत भंडारगृह, पूर्व-शीतलन एवं पक्कवन चैम्बर, आईक्यूएफ, कोल्ड चेन अवसंरचना, भाप उत्पादन, क्यूसी प्रयोगशाला इत्यादि ।
- **सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसईज) के लिए मानक डिजाइन सुविधा शेड-** छोटी यूनिटों के लिए प्लग एवं प्ले सुविधा ।
- **गैर-कोर अवसंरचना-** प्रशासनिक भवन, प्रशिक्षण केंद्र, कैंटीन, श्रमिक छात्रवास, ट्रेड/प्रदर्शन केंद्र इत्यादि ।

**कार्यान्वयन एजेंसी**

मेगा फूड पार्क के निष्पादन, स्वामित्व और प्रबंधन की जिम्मेदारी कंपनीज अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) की है । परंतु स्कीम के अंतर्गत परियोजना के लिए आवेदन करने वाले राज्य सरकार/राज्य सरकार की संस्थाओं/सहकारिताओं के लिए अलग से एसपीवी बनाने की आवश्यकता नहीं होगी ।

## एसपीवी के लिए पात्रता मानदंड

एसपीवीज के मुख्य पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं:

(i) एसपीवी कंपनीज अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक कॉरपोरेट निकाय होगा । परंतु, परियोजना का कार्यान्वयन करने वाली राज्य सरकार/राज्य सरकार की संस्थाओं/सहकारिताओं के मामले में कंपनीज अधिनियम के अंतर्गत एसपीवी का अलग से पंजीकरण अनिवार्य नहीं होगा ।
(ii) एसपीवी में अधिकतम इक्विटी धारण करने वाला प्रमोटर प्रमुख प्रमोटर होगा । प्रमुख प्रमोटर मुख्य रूप से परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय सहित सभी पणधारियों के साथ समन्वय करने के लिए जिम्मेदार होगा ।
(iii) एसपीवी के प्रमोटरों/प्रस्तावित शेयर धारकों की सम्मिलित निवल संपत्ति 50.00 करोड़ रुपए से कम नहीं होनी चाहिए । एसपीवी में प्रत्येक सदस्य की निवल संपत्ति प्रत्येक शेयर धारक से परियोजना के लिए अपेक्षित अंशदान सुनिश्चित करने के लिए उसके प्रस्तावित इक्विटी अंशदान की कम से कम 1.5 गुणा होनी चाहिए ।
(iv) एसपीवी के लिए कुल पात्र परियोजना लागत की इक्विटी के रूप में सामान्य क्षेत्रों में कम से कम 20% और दुर्गम तथा पहाड़ी क्षेत्रों अर्थात सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राज्यों के आईटीडीपी अधिसूचित क्षेत्रों सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में कम से कम 10% को आकर्षित करने की आवश्यकता है ।
(v) एसपीवी में शेयर धारक बनने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियां एसपीवी में केवल 26% तक इक्विटी धारण कर सकती हैं । परंतु, राज्य सरकार/राज्य सरकार की संस्थाओं/सहकारिताओं पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होगा ।
(vi) प्रत्येक एसपीवी भावी निवेशकों की विस्तृत जानकारी के लिए अपनी वेबसाइट पर मेगा फूड पार्क में एमएसईज के लिए सामान्य सुविधाओं के लिए उपयोगकर्ता प्रभारों/हायर करने की दरों तथा भू-खंड एवं फैक्टरी भवनों के लिए पट्टे पर किराया दरों को प्रकाशित करेगा । मेगा फूड पार्क में भू-खंडों की दर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकार को उनकी वेबसाइटों पर अपलोड करने के लिए भी उपलब्ध कराई जाएगी । एसपीवीज को मेगा फूड पार्कों में भू-खंडों/सुविधाओं को बेचने की अनुमति नहीं है और वे भू-खंडों/सुविधाओं को अन्य खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को केवल पट्टे पर दे सकते हैं ।
(vii) पार्क में सामान्य सुविधाएं बेची अथवा पट्टे पर नहीं दी जा सकती हैं । वे यूनिटों को केवल किराए के आधार पर दी जा सकती है ।

## कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसी (पीएमए)

मंत्रालय स्कीम के कार्यान्वयन में अपनी सहायता के लिए कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) को नियुक्त करेगा । पीएमए परियोजना के विकास, प्रबंधन, वित्त-पोषण और अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन में गहन अनुभव रखने के साथ-साथ ख्याति प्राप्त संस्था होगी ।

## परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी)

जमीनी स्तर पर परियोजनाओं का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पीएमए के अलावा मंत्रालय ने बड़ी परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार करने और परियोजना कार्यान्वयन में अनुभव रखने वाले परियोजना प्रबंधन परामर्शदाताओं (पीएमसी) का एक पैनल तैयार किया है । डीपीआर तैयार करने के लिए तथा सहायता हेतु एसपीवीज मंत्रालय की इन सूचीबद्ध एजेसिंयों में से किसी भी एजेंसी को नियोजित कर सकते हैं ।

## समय अनुसूची

मेगा फूड पार्क परियोजना को पूरा करने और सफल प्रचालन हेतु समय अनुसूची परियोजना को अनुमोदन देने की तारीख से 30 माह की है ।

**संलग्नक-II**

**खाद्य पार्क योजना के बारे में दिनांक 04 फरवरी, 2020 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं.374 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।**

अनुमोदित एवं जारी की गई अनुदान-सहायता सहित पिछले दो वित्त वर्षों और चालू वित्त वर्ष में कार्यशील किए गए मेगा फूड पार्कों का विवरण

| **क्र.सं.** | **एमएफपी परियोजना के एसपीवी/आईए का नाम** | **जिला एवं राज्य** | **कार्यशील होने की तारीख** | **अनुमोदित की गई कुल अनुदान-सहायता (करोड़ रुपए)** | **जारी की गई कुल अनुदान-सहायता (करोड़ रुपए)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | एमआईटीएस मेगा फड पार्क लिमिटेड | रायगढ़, ओडिशा | 1-जून-2017 | 50 | 44.95 |
| 2. | सतारा मेगा फूड पार्क प्रा.लि | सतारा, महाराष्ट्र | 1-मार्च-2018 | 50 | 44.49 |
| 3. | ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क लिमिटेड | अजमेर, राजस्थान | 29-मार्च-2018 | 49.88 | 43.18 |
| 4. | हिमालयन फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड | उधमसिंह नगर, उत्तराखंड | 8-अप्रैल-2018 | 48.12 | 41.8 |
| 5. | गुजरात एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड | सूरत, गुजरात | 29-अक्टूबर-2018 | 50 | 42.45 |
| 6. | पैथान मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड | औरंगाबाद, महाराष्ट्र | 15-नवम्बर-2018 | 48.82 | 41.99 |
| 7. | क्रिमिका फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड | ऊना, हिमाचल प्रदेश | 10-फरवरी-2019 | 50 | 42.72 |
| 8. | गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड | पश्चिम गोदावरी, आंध्र प्रदेश | 12- फरवरी -2019 | 50 | 44.53 |
| 9. | सिकरिया मेगा फूड पार्क (पी) लिमिटेड | पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा | 20- फरवरी -2019 | 48.39 | 43.5 |
| 10. | स्मार्ट एग्रो फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड | निजामाबाद, तेलंगाना | 6-सितम्बर-2019 | 50 | 44.56 |
| 11. | अवंती मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड | देवास, मध्य प्रदेश | 5-दिसम्बर-2019 | 50 | 38.88 |

**संलग्नक-III**

**खाद्य पार्क योजना के बारे में दिनांक 04 फरवरी, 2020 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं.374 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।**

अनुमोदित एवं जारी की गई अनुदान-सहायता सहित पिछले दो वित्त वर्षों और चालू वित्त वर्ष में मंत्रालय द्वारा अंतिम अनुमोदन प्राप्त मेगा फूड पार्कों का विवरण

| **क्र.सं.** | **एमएफपी परियोजना के एसपीवी/आईए का नाम** | **जिला एवं राज्य** | **अंतिम अनुमोदन की तारीख** | **अनुमोदित की गई कुल अनुदान-सहायता (करोड़ रुपए)** | **जारी की गई कुल अनुदान-सहायता (करोड़ रुपए)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | फणीधर मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड | मेहसाणा, गुजरात | 16-अगस्त-2017 | 50 | 15 |
| 2. | डोयस एग्री रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड | दीमापुर, नागालैंड | 16-अगस्त-2017 | 50 | 29.78 |
| 3. | फेवरिच इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड | मांड्य, कर्नाटक | 19-दिसम्बर-2017 | 50 | 15 |
| 4. | हरियाणा स्टेट कोआपोरेटिव सप्लाई एण्ड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (हैफेड) | रोहतक, हरियाणा | 21-फरवरी-2018 | 50 | 15 |
| 5. | पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क नोएडा प्राइवेट लिमिटेड | गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश | 20-सितम्बर-2018 | 50 | 0 |
| 6. | नंदवन मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड | मथुरा, उत्तर प्रदेश | 28-जनवरी-2019 | 50 | 0 |
| 7. | रोंगोगे मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड | पापुम पारे, अरुणाचल प्रदेश | 12-सितम्बर-2019 | 43.25 | 0 |
| 8. | मणिपुर फूड इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड | थाउबल, मणिपुर | 29-जनवरी-2020 | 43.254 | 0 |

**संलग्नक-IV**

**खाद्य पार्क योजना के बारे में दिनांक 04 फरवरी, 2020 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं.374 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।**

अनुमोदित एवं जारी की गई अनुदान-सहायता सहित राज्य सरकार की संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे उन मेगा फूड पार्कों का ब्यौरा जिन्हें मंत्रालय द्वारा अंतिम अनुमोदन दिया जा चुका है ।

| **क्र.सं.** | **एमएफपी परियोजना के एसपीवी/आईए का नाम** | **जिला एवं राज्य** | **अंतिम अनुमोदन की तारीख** | **अनुमोदित की गई कुल अनुदान-सहायता (करोड़ रुपए)** | **जारी की गई कुल अनुदान-सहायता (करोड़ रुपए)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्टक्चर डिवेलप्मेन्ट कॉपोरेशन लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) | सोनीपत, हरियाणा | 6-नवम्बर-2015 | 44.94 | 27.88 |
| 2. | ओडिशा इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्टक्चर डिवेलप्मेन्ट कॉपोरेशन (आईडीसीओ) | खोर्धा, ओडिशा | 6- नवम्बर-2015 | 50 | 37.8 |
| 3. | केरल इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्टक्चर डिवेलप्मेन्ट कॉपोरेशन (किंफ्रा) | पलक्कड़, केरल | 27- नवम्बर-2015 | 40.57 | 37.72 |
| 4. | केरल स्टेट इंडस्ट्रियल डिवेलप्मेन्ट कॉपोरेशन लिमिटेड (केएसआईडीसी) | अलप्पुझा, केरल | 27- नवम्बर -2015 | 50 | 28.8 |
| 5. | पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएआईसी) | लुधियाना, पंजाब | 27- नवम्बर -2015 | 50 | 37.62 |
| 6. | आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्टक्चर कॉपोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) | कृष्णा, आंध्र प्रदेश | 31-दिसम्बर-2015 | 43.55 | 28.49 |
| 7. | तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (टीएसआईआईसी) | खम्मम, तेलंगाना | 5-फरवरी-2016 | 50 | 28.49 |
| 8. | हरियाणा स्टेट कोआपोरेटिव सप्लाई एण्ड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (हैफेड) | रोहतक, हरियाणा | 21-फरवरी-2018 | 50 | 15 |
| 9. | मणिपुर फूड इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड | थाउबल, मणिपुर | 29-जनवरी-2020 | 43.254 | 0 |